

विधानसभा प्रश्न क्र. 869 (तारांकित)

मुख्यमंत्री लाइली बहना योजना अंतर्गत जून 2023 से फरवरी 2025 तक
लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या

| क्र. | माह एवं वर्ष | लाभान्वितों की संख्या | | |
|------|---|-----------------------|---------------|---------------|
| | | 21 से 35 वर्ष | 36 से 50 वर्ष | 51 से 60 वर्ष |
| 1 | जून 2023 | 53,94,539 | 53,12,701 | 17,33,668 |
| 2 | जुलाई 2023 | 54,07,091 | 53,23,783 | 17,37,336 |
| 3 | अगस्त 2023 | 54,05,907 | 53,22,309 | 17,36,748 |
| 4 | अगस्त 2023 (विशेष आर्थिक सहायता रूपये 250/-) | 53,88,385 | 53,07,067 | 17,31,119 |
| 5 | सितंबर 2023 | 59,11,696 | 53,75,266 | 17,55,706 |
| 6 | अक्टूबर 2023 | 59,08,129 | 53,72,289 | 17,54,943 |
| 7 | नवंबर 2023 | 59,05,740 | 53,70,646 | 17,54,009 |
| 8 | दिसंबर 2023 | 59,05,796 | 53,70,041 | 17,54,091 |
| 9 | जनवरी 2024 | 59,04,200 | 53,68,057 | 15,98,498 |
| 10 | फरवरी 2024 | 59,02,293 | 53,65,968 | 15,97,623 |
| 11 | मार्च 2024 | 58,99,930 | 53,63,668 | 15,96,652 |
| 12 | अप्रैल 2024 | 58,98,035 | 53,61,614 | 15,95,881 |
| 13 | मई 2024 | 58,96,546 | 53,60,192 | 15,95,284 |
| 14 | जून 2024 | 58,95,750 | 53,59,204 | 15,94,769 |
| 15 | जुलाई 2024 | 58,97,199 | 53,58,806 | 15,94,406 |
| 16 | अगस्त 2024 | 58,89,264 | 53,50,400 | 15,91,591 |
| 17 | अगस्त 2024 (विशेष आर्थिक सहायता रूपये 250/-) | 58,95,916 | 53,57,155 | 15,93,760 |
| 18 | सितंबर 2024 | 58,94,740 | 53,55,424 | 15,92,979 |
| 19 | अक्टूबर 2024 | 59,00,015 | 53,59,300 | 15,93,804 |
| 20 | नवंबर 2024 | 58,92,439 | 53,51,223 | 15,90,931 |
| 21 | दिसंबर 2024 | 58,89,846 | 53,47,481 | 15,89,244 |
| 22 | जनवरी 2025 | 58,85,683 | 53,43,464 | 14,25,614 |
| 23 | फरवरी 2025 | 58,86,549 | 53,43,091 | 14,25,052 |

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल

28/02/2025
सहायक संचालक
महिला एवं बाल विकास
मध्यप्रदेश

विधानसभा प्रश्न क्रं. 869 (तारांकित) प्रश्नांश 'ग' की जानकारी

माह फरवरी 2025 तक प्रदेश में लाडली बहना योजना अंतर्गत पंजीकृत पात्र ऐसे हितग्राहियों की जानकारी जिनके नाम योजना से विलोपित किए गए

| क्रं. | कारण | विलोपित संख्या |
|-------|---|----------------|
| 1 | अपात्र (पंजीकृत पात्र महिलाओं के विरुद्ध उनकी पात्रता सम्बन्धी प्राप्त आपत्ति के स्थानीय आपत्ति निराकरण समिति द्वारा परीक्षण उपरांत आपत्ति सही पाए जाने के कारण अपात्र की गई महिलाएं) | 35 |
| 2 | मृत | 15,748 |
| 3 | 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के कारण योजना की पात्रता से बाहर | 3,19,991 |

अनुभवा अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

28/02/2025
सहायक संचालक
महिला एवं बाल विकास
मध्यप्रदेश